

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर
दिनांक: 22.03.2024

No-NER-HQ0PERS(SELB)/25/2024-DY CPO/GAZ/HQ/NER (114095)

1. सचिव/स्थापना/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव/महाप्रबन्धक एवं सचिव/अपर महाप्रबन्धक/पूउरे/गोरखपुर।
3. सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. सभी मंरेप्र/वर्मकाधि/वर्मविप्र/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
5. सभी मंडलेतर इकाईयां एवं मुकाप्र/काकाधि/कारखाना/गोरखपुर एवं इज्जतनगर।
6. उपमुकाधि/मुख्या/चि0नि0/लनामिरेचि, वकाधि/आरपी/गोरखपुर।
7. उपमुई/गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर एवं वकाधि/निर्माण एवं चीफ कैशियर/गोरखपुर।
8. सभी कार्मिक अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर एवं इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
9. मुख्य जन संपर्क अधिकारी/सहा0 सचिव/गोपनीय, विधि अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्य कुशलता अधिकारी/जॉच अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
10. महाप्रबन्धक/आर ई/इलाहाबाद एवं बी एल डब्लू/वाराणसी।
11. अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर एवं अध्यक्ष/आरआरसी/गोरखपुर एवं रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय:-विशेष अभियान के अन्तर्गत सहायक कार्मिक अधिकारी, लेवल-8, (ग्रुप-बी) 30 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (एलडीसीई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-ई (जीपी)2022/2/4 दिनांक 14.12.2023 में निहित निर्देशों के आलोक में विशेष अभियान के अन्तर्गत सहायक कार्मिक अधिकारी, लेवल-8 (ग्रुप-बी) की 30 प्रतिशत एल.डी.सी.ई. कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. रिक्ति-

पद/कोटा	UR	SC	ST	Total
सकाधि, 30%	01	00	00	01

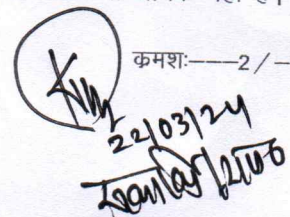
2. आवेदन की अन्तिम तिथि एवं सम्भावित परीक्षा कार्यक्रम-

क्रम सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	आवेदन की अन्तिम तिथि	15.04.2024
02	लिखित परीक्षा की सम्भावित तिथि	23.06.2024

1. पात्रता-

- a. सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप-बी) की 30 प्रतिशत रिक्तियां नीचे दिये गये पैरा (क) के उप-पैरा (I), (II) एवं पैरा (III) में दिये गये विभागों के समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 और उससे ऊपर में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त कर्मचारियों जिन्होंने लेवल-6 में दिनांक 01.01.2023 को पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो, से भरी जाएंगी। पात्रता हेतु कटआफ डेट दिनांक 01.01.2023 निर्धारित है।
 - b. पैरा (क) के उप-पैरा (I), (II) एवं पैरा (III) में दिये गये विभागों का विवरण निम्नवत् है-
 - i. कार्मिक विभाग के अनुसचिवीय (Ministerial) कर्मचारी समूह 'ग'
 - ii. भंडार एवं परिवहन (यातायात और वाणिज्य) विभाग, सांख्यिकीय और संकलन शाखा के अनुसचिवीय (Ministerial) कर्मचारी समूह 'ग', मुख्य विधि सहायक, सभी विभागों के आशुलिपिक (लेखा विभाग को छोड़कर) जिनके पास उनके अपने विभाग में समूह 'ख' में प्रोन्नति के लिए अवसर हो लेकिन उनको दिए गए विकल्प के आधार पर उन्हें सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने के लिए विचार करने के लिए चुना जाता है।
 - iii. भारतीय रेल के हिंदी संगठन और लेखा विभाग को छोड़कर किंतु रोकड़ और वेतन एवं समय कार्यालय जहाँ उनके अपने विभाग में समूह 'ख' में प्रोन्नति के लिए अवसर नहीं है, सहित अन्य किसी विभाग में संवर्ग पद में कार्यरत समूह 'ग' अनुसचिवीय (Ministerial) कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
- IV. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-ई (जीपी)2005/2/74 दिनांक 13.03.2008 (आरबीई नं. 40/2008) के अनुसार पदों के समान श्रेणी में किसी नई यूनिट में अनुरोध आधार पर स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों के मामले में और उसमें दी गयी निम्नतम वरिष्ठता में उनके द्वारा पिछली यूनिट में की गई सेवा को उनकी अर्हता निर्धारण में गिना जाए जहाँ शर्त के रूप में नई यूनिट में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है, जो इस शर्त के अधधीन है कि इस प्रकार अनुमति दी गई सेवा अवधि उनकी नई यूनिट में उनके निकटतम वरिष्ठ की सेवा अवधि से अधिक नहीं है।

क्रमशः-2/-


22/03/24
2024

C. बहरहाल सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल योग्यता के आधार पर है।

2. लिखित एवं मौखिक परीक्षा की योजना-

a. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी) 2022/2/4 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार लिखित परीक्षा में कुल 150 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, जिसके अंको का वितरण निम्नवत है-

b.

प्रश्नपत्र का विषय	कुल अंक
तकनीकी विषय	80 अंक
सामान्य ज्ञान जिसमें राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित 15 अंको के वैकल्पिक प्रश्न शामिल हैं	40 अंक
स्थापना एवं वित्तीय नियम	30 अंक
कुल अंक	150 अंक
अर्हक अंक (क्वालीफाईंग मार्क)	90 अंक

c. मास्टर सर्कुलर-68 के पैरा-10.6 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10 प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे, परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे।

d. परीक्षा का समय 03 घंटे निर्धारित है। प्रश्न पत्र में कुल 175 प्रश्न होंगे, जिसमें से 150 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई (1/3) अंक काटा जायेगा।

e. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच में फिट पाये जाने के उपरान्त मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा एवं मेरिट के अनुसार पैल बनाने का प्रावधान है। पैल में स्थान पाने हेतु डीएआर/एसपीई/सतर्कता मामलो से मुक्त होना अनिवार्य है।

3. चयन पूर्व प्रशिक्षण-

उक्त चयन हेतु आरक्षित समुदाय की कोई रिक्तियाँ नहीं है। अतः रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-ई(जीपी) 2010/2/39 दिनांक 28.08.2019 एवं आरबीई सं०-142/2019 के अनुसार चयन पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया जाना है।

4. विकल्प प्राप्ति की अन्तिम तिथि-

a. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-अ पर आवेदन दिनांक 15.04.2024 तक अपने नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत कर दें।

b. नियंत्रक अधिकारी दिनांक 15.04.2024 तक प्राप्त सभी आवेदनो को दिनांक 17.04.2024 तक सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करा दें।

c. सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी आवेदन में भरे गये सभी सूचनाओं की जाँच सेवा अभिलेखो के आधार पर सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ ठीक है एवं आवेदक इस चयन हेतु पात्र है। सभी पात्र अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्रों को दिनांक 22.04.2024 तक इस कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

5. यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति आदि पर हों तो 30 प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ उनके वर्तमान पते पर पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँच व सत्यापित कर उप मुकाधि/राज०/गोरखपुर को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय। विलम्ब की स्थिति में आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

6. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चरपा कर दी जाय। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी।

7. कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें। अद्यतन सूचना/दिशा निर्देशो हेतु सभी अभ्यर्थी पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाईट <http://ner.indianrailway.gov.in> को समय-समय पर देखते रहें।

संलग्नक/अनुलग्नक-अ, ब (सेलेबस)।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

सचिव/प्रमुकाधि/गोरखपुर-कृपया सभी मंडलों एवं यूनिटों आदि को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार)

सकाधि/राज०

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

अनुलग्नक-अ

महाप्रबन्धक/कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषय:-विशेष अभियान के अन्तर्गत सकाधि ग्रुप-बी 30 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन।
संदर्भ:-महाप्रबन्धक/कार्मिक द्वारा जारी अधिसूचना No-NER-HQ0PERS(SELB)/
25/2024-DY CPO/GAZ/HQ/NER (114095) दिनांक 22.03.2024 ।

Photograph

(To be attested
by Controlling
Officer)

संदर्भित अधिसूचना के अनुसार मैं इस परीक्षा हेतु पात्र हूँ तथा मेरा विवरण निम्नवत् है-

नाम	हिन्दी में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में	
पिता/पति का नाम	अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में	
पद एवं कार्यस्थल		
मंडल/ईकाई		
नियंत्रक अधिकारी		
जन्मतिथि		
पी.एफ.नं		
मोबाईल नं०		
पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है	 (हाँ/नहीं)	
समुदाय (अजा/अजजा/ अनारक्षित)		
शैक्षणिक योग्यता		
रेल सेवा में प्रथम नियुक्ति	पद ग्रेड पे० रेलवे/मंडल/ईकाई नियुक्ति तिथि प्रशिक्षण अवधि	
वैतनमान (पीबी-2 + ग्रेड पे रु.4200) में नियमित नियुक्ति/पदोन्नति तिथि एवं कुल सेवा	पद ग्रेड पे० नियुक्ति तिथि/पदोन्नति तिथि दि.01.01.23 को सेवा अवधि-वर्ष.....माह.....दिन.....	
वर्तमान पद	पद ग्रेड पे० नियुक्ति तिथि दि.01.01.23 को सेवा अवधि-वर्ष.....माह.....दिन.....	
यदि अंतर रेलवे स्थानान्तरण पर इस रेलवे में आये है तो उसका विवरण।	रेलवे जहाँ से आये है।	इस रेलवे पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं ग्रेड पे, लेवल
यदि पारस्परिक अंतर रेलवे स्थानान्तरण पर आये है तो उसका विवरण	कर्मचारी का नाम एवं पद जिससे साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये है।	इस रेलवे पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
वरियता सूची के अनुसार आपसे निकटतम वरिष्ठ कर्मचारी का विवरण	नाम, पदनाम एवं लेवल	पदस्थापना तिथि

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचना/घोषणा सत्य एवं सही हैं तथा उक्त चयन हेतु पात्र हूँ, यदि कोई सूचना/घोषणा गलत पायी जाती है या पात्रता के सम्बन्ध में यदि कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है, जिससे मेरी पात्रता प्रभावित होती है तो चयन के किसी भी स्टेज में मुझे अपात्र घोषित कर दिया जाए।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
दिनांक

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर/कार्यालय मुहर

उपरोक्त विवरण एवं इस चयन हेतु पात्रता का मिलान कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है, वर्तमान इकाई में कर्मचारी दिनांक 01.01.2018 या इससे पूर्व से लेवल-6 या इससे ऊपर के ग्रेडों में नियमित रूप से कार्यरत है। उक्त कर्मचारी इस चयन हेतु अधिसूचना में दिए गए शर्तों के अनुसार पात्र है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवा रिकार्ड के अनुसार ग्रेड पे रु० 4200, लेवल-6 एवं इससे ऊपर की गई कुल सेवा दिनांक 01.01.2023 को.....वर्ष माह.....दिन है, तदनुसार इसे उपमुकाधि/राजपत्रित कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर/कार्यालय मुहर

SYLLABUS FOR 30% LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION (LDCE) FOR PROMOTION TO GROUP 'B' POST OF APO IN PERSONNEL DEPARTMENT.

Professional Subject:

1. Constitutional Provision of Right to Employment under Article 16 & 17 of the Constitution of India.

2. Manpower Planning & Recruitment:

(a) Manpower Planning, surrender and creation of posts, work charged posts, temporary posts, supernumerary posts, vacancy bank etc. Zero-based calculation of requirement/creation.

(b) Recruitment:

(i) Recruitment at various levels and methods of recruitment:

- Functioning of Railway Recruitment Boards.
- Recruitment at Zonal Railways including recruitment of artisan staff. Concept of Lead period, normal attrition while placing indent.
- Railway Recruitment Cell (RRC) - role and functions.
- Appointment of land losers, compassionate ground appointments, Sports quota appointments, Cultural quota and Scouts & Guide quota appointments etc.
- Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS).

(ii) Recruitment to various Group 'A' Railway Services.

(iii) Direct recruitment quota as well as quota for recruitment for intermediate grades.

(iv) Reservation in recruitment, horizontal and vertical reservation, reservation roasters etc.

(c) Apprentices Act, 1961 and its Implementation.

- (d) Absorption of medically de-categorized staff in alternative posts.
 - (e) Concept of Deputation, Foreign Service etc. and its impact on Pension, Foreign Service Contribution.
3. Training and Development:
- a. Basic concept of training and human resource development.
 - b. Training and Development of Railway employees.
 - i. Training of Group C employees.
 - ii. Functioning of Zonal Training Schools and other training institutions.
 - iii. Training of Gazetted Officers in Railways as well as non-Railways institutions.
 - iv. Various Railway Training Institutes like NAIR, IREEN etc.
 - c. Future developments in Railways, the changing roles of Railway personnel and the need for on the job training, multi skilling etc.
4. Pay and Allowances:
- a. Preparation of Pay Bill, Computerization of Pay Bill, AFRES, PRIME, I-Pass Concept etc.
 - b. Pay in the Government i.e. Pay bands, Grade pay etc.
 - c. Principles of pay fixation in case of appointment and promotion. Pay fixation in case of functional and non functional promotions etc.
 - d. Fundamental Rule (FR) & Fixation, Instances of pay protection etc.
 - e. Various allowances admissible to the Railway employees including allowances to the running staff.
5. Seniority and Promotion:
- a. Rules regulating determination of seniority and procedure for promotion against selection and non-selection posts.
 - b. Provision of reservation for Schedule Caste and Scheduled Tribe employees. Maintenance of various reservation rosters.
 - c. Relaxations available to SC/ST candidates for promotion in safety and non-safety category posts and procedure for de-reservation of posts.
 - d. Performance appraisal – APAR, procedure, maintaining of records, communication of adverse comments etc. Impact of Vigilance investigation during and after Selection.
 - e. NBR, sealed cover procedure etc.
6. Organization and Role of Personnel Department, its functions and objectives, Schedule of Powers in Establishment Matters. Maintenance of records-Service Registers, Personal Files and preparation of claims of Pay Bill, etc. Computerization of

records and personnel management functions (Human Resource Management System)
- benefits, challenges and implementation. Computerization of official record and its retrieval.

7. Loans and various advances admissible to the Railway employees and conditions thereof, PLB, TA rules etc.
8. Disciplinary & Appeal Rules (1968), Railway Services Conduct Rules (1966) & Schedule of Disciplinary Powers. Various judgements of Supreme Court on D&AR (1968) and Railway Services Conduct Rules (1966)
9. Pass Rules.
10. Retirement benefits:
 - a. Pension Rules (new and old), Provident fund rules, Leave encashment rules, Gratuity rules etc.
 - b. Retirement benefits under different circumstances (superannuation, voluntary retirement, resignation, dismissal, technical resignation etc).
 - c. Impact of Disciplinary & Appeal Rules, penalties etc on retirement benefits.
 - d. Pension adalats, timely settlement and redressal of grievances related to settlement.
 - e. Retirement benefits under Provident Fund & Pension rules and Schemes of Financial Settlement.
11. Leave Rules and joining time.
12. Reimbursement of tuition fees and legal expenses.
13. Medical assistance to Railway employees and retired Railway employees. RELHS & its membership.
14. Right to Information Act, 2005.

Professional Subject:

1. Industrial Relations, Recognition of Trade Unions and dealing with unrecognized Trade Unions/Associations Industrial disputes, their causes, strikes, lockouts, layoffs, provisions of Industrial Disputes Act and functions of Labour Enforcement Officers and Labour courts.
2. Labour legislations viz, Factories Act, its applicability to Workshops and other Railway establishments, Special Rules for Workshop staff in Railways, payment of wages, Workmen's Compensation Act, ex-gratia payment, incentive bonus scheme, Minimum Wages Act, etc.
3. Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1972, Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal), Act, 2013.
4. Service Law, CAT, High Courts, Supreme Court and effective handling of court cases, filing of Review Petitions, SLP, engagement of Advocates and payment of fees to them and their related issues.
5. Engagement of casual labour and substitutes, policy and procedure thereof.
6. Grievance redressal mechanism, Staff Welfare- Staff Benefit Fund, Consumer Co-op. Societies, medical assistance, Workers' Education Scheme, Societies and educational assistance.
7. Hours of Employment Regulations, conducting of job analysis, payment of overtime, etc.